रजिस्ट्री सं. डी.--(डी एन)--73 REGISTERED NO. D--(DN)--73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 10, 1983 (भाद्रपद 19, 1905)
No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 10, 1983 (BHADRA 19, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I--खंड 1--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	621
भाग I--खंड 2--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1233
भाग I--खंड 3--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1421
भाग II--खंड 1--अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II--खंड 1-क--अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II--खंड 2--विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II--खंड 3--उप-खंड (i)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II--खंड 3--उप-खंड (ii)--भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II--खंड 3--उप-खंड (iii)--भारत सरकार के मंत्रालयों जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II--खंड 4--रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III--खंड 1--उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	19081
भाग III--खंड 2--पैटेंट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	609
भाग III--खंड 3--मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	153
भाग III--खंड 4--विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2885
भाग IV--गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	159
भाग V--अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई है।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	621
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1233
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1421
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative tests in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .. .	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	19081
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	609
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	153
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2885
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	159
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 अगस्त 1983

स० 68-प्रेस/83—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने का सहर्ष अनुमोदन करते हैं —

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री गुरबक्श लाल मेहता
नं० डी/822,
पुलिस उप-निरीक्षक
दिल्ली ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23 नवम्बर, 1981 को प्रातः लगभग 3 15 बजे चार सशस्त्र व्यक्ति एक देशी पिस्तौल और लोहे की छड़ें लेकर मकान नं० एस-355, पंचशील पार्क, मे जबरदस्ती घुस गए। यह भवन एक कम्पनी के अतिथि-गृह के रूप मे प्रयोग किया जा रहा था। एक बारात मे शामिल होने के लिए अलवर से आए हुए श्री आलोक कुमार दत्ता और उनका परिवार "आईशर" अतिथि-गृह मे ठहरे हुए थे। श्री दत्ता तथा उनके परिवार के शयन कक्षो को लूटा और उन्हे सोने के कुछ जेवरो से वंचित कर दिया। एक पड़ौसी ने शोर सुना और उसने पुलिस चौकी मालवीय नगर को सूचित किया। अपराधियो को पकड़ने के उद्देश्य से कोई क्षण नष्ट किए बिना उप-निरीक्षक गुरबक्श लाल कास्टेबल बलवान सिंह को लेकर घटनास्थल की ओर तेजी से बढ़े। वे उस स्थान पर उस समय पहुचे जब अपराधी जाने ही वाले थे। उप-निरीक्षक गुरबक्श लाल और कांस्टेबल बलवान सिंह ने अपराधियो को ललकारा जिसके फलस्वरूप पुलिस और अपराधियो का आपस मे मुकाबला हो गया। अपराधियो ने आग्नेयास्त्र निकाल लिए और उप-निरीक्षक गुरबक्श लाल को भीषण परिणामो की चुनौती दी। इन दो पुलिस अधिकारियो ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश की। अपराधियो ने उप-निरीक्षक गुरबक्श लाल पर दो गोलियां चलाईं और उन्हे बुरी तरह घायल कर दिया। गभीर चोटो के बावजूद उप-निरीक्षक गुरबक्श लाल और कास्टेबल सघर्ष करते रहे और अपराधियो के साथ हाथा पाई कर उनमे से एक को घायल कर दिया। उप-निरीक्षक ने एक अपराधी को अपनी पकड मे ले लिया और उसे जमीन पर पटक दिया परन्तु दूसरे अपराधी ने लोहे की छड से उन पर वार किया जिसके कारण उनके सिर, पैर और हाथ की हड्डिया टूट गईं। उप-निरीक्षक गुरबक्श लाल ने फिर भी जमीन पर गिरने से पहले एक अपराधी को घायल कर दिया था । गभीर रूप से घायल हुए उप-निरीक्षक को सफदरजग अस्पताल में दाखिल किया गया।

श्री गुरबक्श लाल, उप-निरीक्षक, ने इस प्रकार अनुकरणीय साहस, उत्कृष्ट वीरता और अति उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2 यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23 नवम्बर, 1981 से दिया जाएगा।

सु० नीलकण्ठन, राष्ट्रपति का उप सचिव

योजना आयोग

(श्रम, रोजगार और जनशक्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 1983

विषय —स्व रोजगार के लिए राष्ट्रीयस्तर पर मार्गदर्शन समिति के सदस्य-सचिव।]

सं० एम० 12038/1/83-एल० ई० एम ई० पी०—योजना आयोग के दिनांक 8 अप्रैल, 1981 के संकल्प सं० एम० 12038/1/81-एल० ई० एम०/ई० पी० के पैरा 2 के और दिनांक 22 अप्रैल, 1981, 12 जून, 1981, 31 अगस्त, 1981, 24 दिसम्बर, 1981 और 7 जून, 1982 की इसी सख्या की अधिसूचनाओ के क्रम मे, समिति के गठन में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है, अर्थात्

समिति के सदस्य-सचिव श्री ए० वी० आर० चार से संबंधित क्रम सं० '23' के आगे निम्नलिखित के नाम को प्रतिस्थापित किया जाए .

डा० (श्रीमति) र० तामरजाक्षी, सलाहकार (एल०ई०एम०) योजना आयोग ।

के० सी० अग्रवाल, निदेशक (प्रशासन),

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 1983

सकल्प

स० ई० 11017/45/79-रा० भा०—वित्त मत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक मे, जो 30 जनवरी, 1981 को राज्य मंत्री (राजस्व तथा व्यय) की अध्यक्षता मे हुई थी, यह निर्णय किया गया था कि वित्तीय विषयो पर हिन्दी मे मूल रूप से लिखी गई पुस्तको पर पुरस्कार देने की वित्तीय साहित्य पुरस्कार योजना के नाम से एक योजना तैयार की जाये।

2 योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य वित्तीय विषयो पर हिन्दी मे मानक मूल पुस्तक लेखन को बढ़ावा देना है ।

3 पात्रता

पुरस्कार केवल भारतीय नागरिको को दिए जाएगे । लोक सेवक भी, जिनमे वित्त मत्रालय मे तथा उसके अन्तर्गत तथा उसके नियत्रणाधीन सगठनो मे और भारतीय लेखा परीक्षा विभाग मे कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं, इस योजना मे भाग ले सकेगे।

4 विषय

प्रति वर्ष निम्नलिखित विषयो पर मूलत हिन्दी मे लिखी गई पुस्तको पर पुरस्कार दिए जाएगे —

(क) प्रत्यक्ष कर

(ख) अप्रत्यक्ष कर

(ग) बैंकिंग

(ग) बैंकिंग
(घ) जीवन बीमा
(ङ) साधारण बीमा
(च) मुद्रा व सिक्का-ढलाई
(छ) लोक वित्त
(ज) विनिमय नियंत्रण
(झ) विक्रय कर
(ञ) नारकोटिक्स
(ट) स्वर्ण नियंत्रण
(ठ) विदेशी सहायता

नोट : अन्य वित्तीय विषयों पर लिखी गयी, जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं हैं, पुस्तकों पर भी विचार किया जाएगा ।

5. पुरस्कार

इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले पुरस्कार इस प्रकार है :—

प्रथम पुरस्कार — 5000/– रु० (पांच हजार रुपये)
द्वितीय पुरस्कार — 3000/– रु० (तीन हजार रुपये)
तृतीय पुरस्कार — 2000/– रु० (दो हजार रुपये)

6. पुरस्कार वर्ष

(i) वित्तीय वर्ष को पुरस्कार वर्ष माना जाएगा ।

(ii) किसी पुरस्कार वर्ष विशेष में पुरस्कार विचार हेतु प्रस्तुत की जाने वाली पुस्तकें पिछले वित्तीय वर्ष में लिखी गयी/प्रकाशित की गयी होनी चाहिए ।

(iii) इस योजना के अन्तर्गत पुस्तक पुरस्कार वर्ष के 30 जून तक स्वीकार की जायेंगी ।

7. पुरस्कारों का दाता

ये पुरस्कार वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिए जाएंगे ।

8. पुस्तकों का मूल्यांकन

(i) इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कारों के लिए विचारार्थ प्राप्त पुस्तकें मूल्यांकन हेतु पहले एक विशेषज्ञ समिति को भेजी जाएंगी जिसका गठन प्रति वर्ष वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । समिति के सदस्यों के नाम तथा मूल्यांकन समिति की कार्यवाही गुप्त रखी जाएगी ।

(ii) मूल्यांकन समिति, प्राप्त पुस्तकों का गुण-दोष के आधार पर मूल्यांकन करेगी तथा उसी क्रम में लेखकों और उनकी पुस्तकों के नामों की निर्धारित तारीख तक पुरस्कार समिति के सचिव को सिफारिश करेगी और उन्हें भेजी गई पुस्तकों/पाण्डुलिपियों की सभी प्रतियां उक्त समिति के सचिव को वापिस करेगी ।

(iii) जिन पुस्तकों के लिए किसी भी पुरस्कार की सिफारिश नहीं की गयी हो, उन पुस्तकों के बारे में मूल्यांकन समिति, यह समाधान हो जाने पर कि हिन्दी में पुस्तकें लिखने के लिए सतत प्रयास किया गया है, पुस्तक के लेखक को टंकण/प्रकाशन की क्षतिपूर्ति के लिए प्रति पुस्तक 200/– रु० की राशि के भुगतान की सिफारिश करेगी ।

(iv) मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पुरस्कार समिति के समक्ष रखी जाएगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. वित्त राज्य मंत्री/वित्त मंत्रालय के उप मंत्री — अध्यक्ष
2. भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार — सदस्य
3. अपर सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग — सदस्य
4. संयुक्त सचिव (राजभाषा कार्यान्वयन) आर्थिक कार्य विभाग — सदस्य
5. संयुक्त सचिव (राजभाषा कार्यान्वयन) व्यय-विभाग — सदस्य

(v) राजस्व विभाग के उप सचिव/निदेशक (प्रशासन) इस पुरस्कार समिति के सचिव होंगे ।

(vi) यह पुरस्कार समिति, मूल्यांकन समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर पुरस्कार मंजूर करने के प्रयोजनार्थ पुस्तकों की उपयुक्तता के संबंध में विचार करेगी ।

9. योजना के प्रयोजनार्थ मूल पुस्तक की परिभाषा

मूल हिन्दी पुस्तक से अभिप्राय वह पुस्तक है :

(क) जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूलतः हिन्दी में लिखी गई हो;

(ख) जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक या लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुवाद न हो;

(ग) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं मूल रूप से किसी अन्य भाषा में लिखित पुस्तक का प्रतियोगी द्वारा या किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया अनुवाद न हो;

(घ) जो प्रतियोगी द्वारा अपनी शासकीय हैसियत में या अपने शासकीय कार्य के अंग के रूप में मूल रूप से हिन्दी में या किसी अन्य भाषा में नहीं लिखी गई हो;

(ङ) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यावसायिक अनुवादक द्वारा किया गया, प्रतियोगी द्वारा शासकीय हैसियत में और अपने शासकीय कार्य के अंग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखी गई किसी पुस्तक अथवा लेख का, हिन्दी अनुवाद न हो;

(च) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य द्वारा तैयार किया गया, प्रतियोगी द्वारा उसकी शासकीय हैसियत में और उसके शासकीय कार्य के अंग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में पहले से ही लिखी गयी और/अथवा प्रकाशित पुस्तक या लेख के विशद अथवा संक्षिप्ति अथवा सार रूप में हिन्दी पाठ न हो ; और

(छ) जो किसी सरकारी ठेके के अन्तर्गत या किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी गई पुस्तक न हो ।

10. प्रविष्टियां

(i) पुरस्कार के लिए विचारार्थ प्रकाशित पुस्तकें या टंकित प्रतियां, दोनों स्वीकार की जाएंगी । प्रतियोगी लेखकों को निर्धारित प्रपत्र में यह घोषणा करनी होगी कि योजना के अन्तर्गत भेजी गई पुस्तक ऊपर दी गई परिभाषाओं के मुताबिक मूल कृति है ।

(ii) यदि कापीराइट का प्रश्न है तो लेखक को कापीराइट धारक की अनुज्ञा की मूल प्रति तथा एक अनुप्रमाणित सत्य प्रति प्रस्तुत करनी होगी । जांच के बाद मूल प्रति लेखक को लौटा दी जाएगी तथा अनुप्रमाणित प्रति विभाग में रिकार्ड के लिए रख ली जाएगी ।

(iii) प्रतियोगी को पुस्तक की 6 मुद्रित या टंकित की हुई प्रतियां निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ भेजनी होंगी । प्रविष्टियां तथा आवेदन-पत्र विधिवत् भर कर उप सचिव/निदेशक (प्रशासन) एवं सचिव, वित्तीय साहित्य पुरस्कार समिति, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को भेजनी होंगी ।

(iv) प्रतियोगी को प्रत्येक प्रविष्टि के साथ उसके विषय के सारांश की भी 6 प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी ।

(v) निर्धारित तारीख के बाद प्रस्तुत की गई पुस्तकें उस वर्ष पुरस्कार के लिए स्वीकार नहीं की जाएंगी ।

(vi) जिन पुस्तकों पर पुरस्कार के प्रयोजनार्थ एक बार विचार हो चुका है उन पर पुरस्कार की मंजूरी के सम्बन्ध में पुनः विचार नहीं किया जाएगा ।

(vii) यदि मूल्यांकन समिति वर्ष के दौरान किसी भी पुस्तक को पुरस्कार योग्य नहीं समझती तो उस वर्ष कोई भी पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।

(viii) कोई भी प्रतियोगी जिस वर्ष इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए अपनी पुस्तक प्रस्तुत करता है उस वर्ष वह मूल्यांकन समिति की सदस्यता के लिये पात्र नहीं होगा ।

(ix) पुरस्कार समिति का निर्णय अंतिम होगा ।

(x) यदि किसी पुस्तक पर अन्यत्र पुरस्कार मिल चुका है, तो वह पुस्तक इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार के लिए पात्र नहीं होगी। लेखकों को प्रविष्टियां भेजते समय इस सम्बन्ध में राजस्व विभाग को एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

11. पुरस्कारों की घोषणा

(i) पुरस्कार विजेता लेखकों के नाम प्रमुख समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के जरिये घोषित किये जायेंगे ।

(ii) पुरस्कारों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले व्यक्तियों को परिणाम के बारे में अलग से सूचित किया जाएगा ।

(iii) यदि पुरस्कृत पुस्तक एक से अधिक लेखकों द्वारा लिखी गई है तो पुरस्कार की राशि सभी में बराबर बंट जाएगी ।

12. योजना की प्रबंध-व्यवस्था

(i) योजना की संचालन-व्यवस्था वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग द्वारा की जाएगी ।

(ii) योजना तथा पुरस्कारों से संबंधित सभी पत्रों पर कार्रवाई उप सचिव/निदेशक (प्रशासन), राजस्व विभाग एवं सचिव, वित्तीय साहित्य पुरस्कार योजना, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली द्वारा की जाएगी ।

13. मूल्यांकन कर्ताओं तथा योजना का संचालन करने वाले अधिकारियों के लिए मानदेय

(i) प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को प्रति पुस्तक 100/- रु० का मानदेय दिया जाएगा परन्तु मानदेय की अधिकतम सीमा केवल एक हजार रुपये होगी ।

(ii) योजना से सम्बन्धित कार्य करने वाले विभागीय अधिकारियों को भी समुचित मानदेय दिया जाएगा जिसका निर्णय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

(iii) यदि मूल्यांकन समिति के सदस्यों को, पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अंतिम मूल्यांकन हेतु दिल्ली के बाहर से बुलाया जाता है तो उन्हें नियमानुसार बैठक की अवधि के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता मंजूर किया जाएगा ।

14. योजना के लिए निधि

योजना पर होने वाला व्यय जैसा कि ऊपर बताया गया है, राजस्व विभाग के बजट अनुदान में से किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों, प्रधान मंत्री सचिवालय, [मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

एस० बी० सरकार, अपर सचिव

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1983

शुद्धि पत्र

सं० 2/24/82-एन० एस०—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना संख्या 2/24/82-एन० एस० के, जो तारीख 1-3-1983 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित की गई थी, शीर्ष "तीसरा इनाम (20,000 रुपये)" के अन्तर्गत कालम 3 में क्रम संख्या 5 के सामने "1027057" के स्थान पर "1027157" पढ़ा जाए ।

एस० गोपालन, अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

(इस्पात विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 1983

संकल्प

सं० ई० 11015/2/83-हिन्दी (.)—यह फैसला किया गया है कि इस्पात और खान मंत्रालय के दिनांक 9 अप्रैल, 1981 के संकल्प संख्या ई०11015/2/80-हिन्दी द्वारा गठित इस्पात और खान मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति में संसदीय राजभाषा समिति के निम्नलिखित प्रतिनिधि भी सदस्य होंगे :—

1. आचार्य भगवान देव,
   सदस्य, लोक सभा
2. श्री गिरिधर गोमांगो,
   [सदस्य, लोक सभा

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रदेश के प्रशासकों, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसद-कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य-सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

प्र० गो० रामरत्यानी, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली 110016, दिनांक 29 जुलाई 1983

संकल्प

सं० एफ०-20019/2/82-प्रशा०-I—अपने 17 मई, 1982 के संकल्प द्वारा यथासंशोधित संकल्प सं० एफ०-20019/2/82-प्रशा०-I, दिनांक 18 जनवरी, 1982 में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की कार्यपालक समिति को समाप्त करने और उसके स्थान पर दो उप-समितियों, नामतः कार्यपालक समिति और विशेषज्ञ समिति को स्थापित करने का निर्णय किया है।

2. उपरोक्त दो समितियों का संघटन और कार्य निम्नलिखित है :—

कार्यपालक समिति

संघटन :

1. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष
2. महानिदेशक, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद	सदस्य
3. महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान	सदस्य

4. महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	सदस्य
5. सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग (अनुसंधान और विकास)	सदस्य
6. सचिव (व्यय)	सदस्य
7. सलाहकार (जैव-प्रौद्योगिकी)	सदस्य-सचिव

कार्य :

1. बोर्ड के क्रियाकलापों के संचालन और कार्यान्वयन में रोजमर्रा के पहलुओं से संबंधित मामलों में बोर्ड को सलाह देना;
2. शुरू में 5 वर्ष की अवधि के लिए कार्यान्वयन के लिए दीर्घ-कालीन कार्यक्रम तैयार करना;
3. राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड के अंतर्गत समर्थन प्राप्त करने के लिए अनुसंधान प्रस्तावों को प्राप्त करने और उन्हें संसाधित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों का निर्माण और उनकी समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड को सलाह देना तथा सभी अभिकरणों द्वारा पालन किए जाने के लिए समान मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करने के लिए बोर्ड को सलाह देना;
4. सारे कार्यक्रमों का समन्वय, मूल्यांकन और मानीटरन करने के लिए प्रभावशाली क्रियाविधि की सिफारिश करना;
5. आर्थिक दृष्टिकोणों से जैव प्रौद्योगिकीय अनुसंधान में निर्धारित प्राथमिकताओं का मूल्यांकन करना और उनके बारे में सलाह देना;
6. जैव प्रौद्योगिकी पर स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रदान करना और देश में तथा विश्व में जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति रिपोर्ट को अद्यतन करने के कार्य का पर्यवेक्षण करना;
7. सामर्थ्य निर्माण हेतु मार्गदर्शन उपलब्ध कराना और इस उद्देश्य से विभिन्न देशों से आमंत्रित किए जाने वाले वैज्ञानिकों का चयन करना;
8. अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा निधीयित किए जाने के लिए परियोजनाओं का अभिनिर्माण और अनुमोदन करना;
9. ऐसे नये क्षेत्रों का निर्धारण करना जिसमें जैव प्रौद्योगिकीय अनुसंधान और विकास की आवश्यकता है;
10. उस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सिफारिश करना जो कि उपलब्ध विशेषज्ञता के क्षेत्रों में पाई गई कमी वाले क्षेत्रों को भरने के लिए अति उपयुक्त हैं;
11. विभिन्न प्रशिक्षणों कार्यक्रमों में और अधिक विकास के लिए केन्द्र बिन्दु बनने वाले विषय क्षेत्रों, संस्थाओं और व्यक्तियों का अभिनिर्धारण करना;
12. कार्य के नए क्षेत्रों और चालू कार्यक्रमों के लिए मध्यम और दीर्घ अवधि की वित्तीय आवश्यकताओं का निर्धारण करना; और
13. इस बोर्ड द्वारा समय-समय पर इसे सौंपे जाने वाले कोई अन्य कार्य।

कार्यपालक समिति के कुछ कार्यों में सहायता प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की गई है ।

विशेषज्ञ समिति

संघटन :

1. डा० एस० वरदराजन, सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और उप-अध्यक्ष, राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड	अध्यक्ष
2. डा० टी० के० घोष, बी० ई० आर० सी०, आई० आई० टी०, नई दिल्ली।	सदस्य
3. डा० (श्रीमति) शिप्रा गुहा मुखर्जी, स्कूल आफ लाइफ साइंसिज, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली ।	सदस्य
4. डा० एच० के० जैन, निदेशक, आई० ए० आर० आई, नई दिल्ली ।	सदस्य
5. डा० पी० बी० साने, बी० ए० आर० सी०, बम्बई।	सदस्य
6. डा० (सुश्री) के० पावरी, निदेशक, वाइरस रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूणे।	सदस्य
7. डा० टी० बी० सुब्बैया, अलेम्बिक कैमिकल वर्क्स लिमिटेड, बडोदरा।	सदस्य
8. डा० बी० के० बच्चावत, निदेशक, आई० आई० सी० बी०, कलकत्ता।	सदस्य
9. डा० एस० रामचन्द्रन, सलाहकार, एन० बी० टी० बी०, नई दिल्ली।	सदस्य-सचिव

कार्य :

1. सरकार एवं विभिन्न राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में समर्थन के लिए अल्प एवं दीर्घ अवधि कार्यक्रम बनाने के लिए सलाह देना तथा मार्ग निर्देशन प्रदान करना;
2. विभिन्न क्षेत्रों में एन० बी० टी० बी० द्वारा प्राप्त कार्यक्रमों और परियोजनाओं की संवीक्षा और मूल्यांकन करने के लिए, विशेषता प्राप्त विशेषज्ञ दलों/कार्यदलों के निर्माण के लिए सलाह देना;
3. एन० बी० टी० बी० की कार्यपालक समिति की चुनिंदा परियोजनाओं के लिए, निधीयन और अपेक्षित वित्तीय समर्थन विनिर्दिष्ट करने के लिए और परियोजना अवधि के लिए कार्यक्रमों और अनुसंधान परियोजनाओं की सिफारिश करना;
4. एन० बी० टी० बी० द्वारा समर्थन प्रदान किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए समीक्षा/मानीटरन समिति के रूप में कार्य करना और इन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित परिवर्तनों, मध्यावधि संशोधनों की सिफारिश करना;
5. एन० बी० टी० बी० की अल्पावधि और दीर्घावधि अनुसंधान और विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास अभिकरणों द्वारा समर्थन प्रदान की जा रही जैव प्रौद्योगिकी में मुख्य कार्यक्रमों और परियोजनाओं की समीक्षा और समन्वय करना;
6. मूल और अनुप्रयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों के मुख्य नये क्षेत्रों में, यदि आवश्यक हों तो, कार्यक्रमों का अभिनिर्धारण, संस्तुति और

निर्माण करना, जो कि समय समय पर हमारी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिये संगत बन सकते है ;—

7. विश्वविद्यालयों या शैक्षणिक संस्थाओं में डिग्री या डिप्लोमा कोर्सों को आरंभ करने सहित जैव प्रौद्योगिकी के बहुविषय शास्त्रीय क्षेत्रों में जनशक्ति विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बारे में सलाह देना और उन्हें समन्वित करना ;

8. एक ओर शिक्षा और अनुसंधान और विकास प्रणाली और दूसरी ओर शिक्षा और उद्योग के मध्य सुदृढ़ सहलग्नताओं का विकास करने के लिए विशेष सिफारिशों का विकास करना ;

9. व्यापारिक और अर्द्ध व्यापारिक आदि प्ररूपों और प्रयोगिक संयंत्रों की स्थापना करने के बारे में सलाह देना और सिफारिशें करना जिससे कि देश में जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित प्रौद्योगिकियों और प्रक्रियाओं की बड़े पैमाने पर लाभप्रदता को अपस्केलित और प्रदर्शित किया जा सके;

10. भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग के प्रौद्योगिक स्तर का मूल्यांकन करने के लिए प्रौद्योगिकी समीक्षा समिति की स्थापना के लिए सलाह देना और सिफारिश करना, जिससे कि भारतीय प्रौद्योगिकी को न केवल अद्यतन किया जा सके, अपितु देश के भविष्य में प्रौद्योगिकीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुसंधान और विकास कार्यक्रम को आरम्भ/सुदृढ़ किया जा सके; और

11. विदेशों में कार्यरत और भारत लौटने की इच्छा रखने वाले भारतीय वैज्ञानिकों के अभिनिर्धारण में सलाह और सहायता प्रदान करना और देश में विभिन्न अनुसंधान और विकास केंद्रों में उन्हें उपयुक्त नियुक्तियां प्रदान करने के बारे में सलाह और सहायता करना ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि, इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, योजना आयोग, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मन्त्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, मंत्रि-परिषद के सभी सदस्यों और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी बोर्ड की कार्यपालक समिति और विशेषज्ञ समिति के सभी सदस्यों को प्रेषित की जाये ।

विनय शंकर, संयुक्त सचिव

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 1983

सं० 14/52/82-स्मा०—भारत सरकार ने संकल्प संख्या 14/52/83 स्मा०, दिनांक 10 जनवरी, 1983 द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के कार्यकाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आगे चार महीने, अर्थात 30 नवम्बर 1983 तक बढ़ाने का निश्चय किया है ।

कपिला वात्स्यायन, अपर सचिव

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1983

संकल्प

सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० एच०-2/81—राष्ट्रीय बंदरगाह बोर्ड के पुनर्गठन के बारे में नौवहन और परिवहन मंत्रालय के संकल्प सं० पी० डब्ल्यू०/पी० टी० एच० 2/81 दिनांक 18 जुलाई 1981 में आंशिक संशोधन स्वरूप उक्त बोर्ड में बाकी अवधि के लिए प्रो० एम० एम० काम्बले के स्थान पर जो अब राज्य सभा के सदस्य नहीं है श्री मिर्जा इर्शादबेग, राज्य सभा सदस्य अब राष्ट्रीय बन्दरगाह बोर्ड के सदस्य होंगे ।

आदेश

आदेश दिया गया है कि इस संकल्प की एक एक प्रति बोर्ड के सदस्यों, राष्ट्रपति के सचिव, प्रधान मंत्री के सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया गया कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

पी० वी० वेंकटकृष्णन, संयुक्त सचिव

ऊर्जा मन्त्रालय

(पेट्रोलियम विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून/12 अगस्त 1983

आदेश

विषय :—बेसिन (दक्षिण) संरचना पश्चिमी अपतट के 1289.63 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति ।

सं० ओ०-12012/2/83-प्रोडक्शन—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप नियम (1) की धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून (जिसको इसके बाद आयोग कहा जायेगा), को बेसिन (दक्षिण) संरचना पश्चिमी अपतट के 1289.63 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में पेट्रोलियम मिलने की संभावना हेतु एक पैट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस 9-12-1982 से 4 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृति देती है । इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिये गये हैं ।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा ।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई खनिज पदार्थ पाये गये तो आयोग पूर्ण ब्यौरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा ।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :

(I) समस्त अशोधित तेल तथा केसिंग हैड कंडेन्सेंट पर रुपये प्रति मी० टन या ऐसी दर जो समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी ।

(II) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दर केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर के अनुसार होगी ।

(III) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी, पेट्रोलियम, विभाग, नई दिल्ली के वेतन तथा लेखा अधिकारी को दी जायेगी ।

(घ) आयोग लाइसेंस के अनुसरण में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गत माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा, केसिंग हैड कंडेन्सेंट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य दर्शाने वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केंद्रीय सरकार को भेजेगा । यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिये गये प्रपत्र में भरकर देना होगा ।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II की आवश्यकता के अनुसार आयोग 6000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा ।

(घ) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलो-मीटर या उसके किसी अंश जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया हो, निम्नलिखित दरों पर की जायेगी :—

1. लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए	4 रु०
2. लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए	20 रु०
3. लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए	100 रु०
4. लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए	200 रु०
5. लाइसेंस के नवीनीकरण के प्रथम और द्वितीय वर्ष के लिए	300 रुपये

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम II के उपनियम (3) की आवश्यकतानुसार आयोग को अन्वेषण लाइसेंस के किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़ देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह के नोटिस के बाद होगी।

(च) आयोग केन्द्रीय सरकार की मांग पर उसको तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के अन्तर्गत पाये गये समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से देगा तथा हर छः महीने में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिचालनों व्यधन तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(छ) आयोग समुद्र की तलहटी और/या उसके धरातल पर आग लगने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिये ऐसे उपकरण, सामान तथा साधन बनाये रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा।

(ज) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (नियंत्रण और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के उपबन्ध लागू होंगे।

(झ) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक जैसा दस्तावेज भर कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

अनुसूची "क"

इस पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के अन्तर्गत बेसिन (दक्षिण) का क्षेत्र आता है तथा यह अक्षांश 19°00′ 00″ दक्षिण से 19°30′ 00″ उत्तर तक और देशांतर में 72°00′ 00″ पश्चिम से 72°15′ 00″ पूर्व के बीच का है और मानचित्र में कोने के बिन्दुओं ए० बी० सी० और डी को मिलाती हुई रेखा द्वारा चित्रित किया गया है तथा इसका क्षेत्रफल 1289.63 वर्ग किलो मीटर है।

यह क्षेत्र जहां पर स्थित है उसके बिन्दु जिन अक्षांशों और देशांतरों पर पड़ते हैं तथा उनकी बीच की दूरी निम्नलिखित है :

बेयरिंग

	अक्षांश			देशान्तर		
	डि०	मि०	सै०	डि०	मि०	सै०
बिन्दु "ए" है	19°	30′	00″ एन	72°	04′	10.96″ई
बिन्दु "बी" है	19°	15′	00″ एन	72°	04′	10.96″ई
बिन्दु "सी" है	19°	15′	00″ एन	72°	00′	00″ ई
बिन्दु "डी" है	19°	00′	00″ एन	72°	00′	00″ ई
बिन्दु "ई" है	19°	00′	00″ एन	72°	15′	00″ ई
बिन्दु "एफ" है	19°	30′	00″ एन	72°	15′	00″ ई

अनुसूची—ख

अशोधित तेल, केसिंग कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन तथा उसके मूल्य सहित मासिक वितरण
बेसिन (दक्षिण) संरचना पश्चिमी अपतट के लिये पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल : 128963 वर्ग किलो मीटर

माह तथा वर्ष :

क—अशोधित तेल

कुल प्राप्त किलो लीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये लीटरों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ख—केसिंग हैड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल किलो लीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये किलो लीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किए गये किलो लीटरों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त किलो लीटरों की सं०	टिप्पणी
1	2	3	4	5

ग—प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एतद्द्वारा मैं, श्री ——————————सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूं कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्ण रूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए म शद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूं।

हस्ताक्षर

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम में है।

राजेन्द्र सिंह निदेशक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनाक 8 अगस्त 1983

सं० 601/35/83-टी० वी०—दूरदर्शन के लिये कार्यक्रम संबंधी योजना तैयार करने के लिये एक कार्य दल की नियुक्ति के बारे में 6 दिसम्बर, 1982 और 14 मार्च, 1983 के समसंख्यक संकल्प के क्रम में कार्य दल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की अवधि बढ़ा कर 30 सितम्बर, 1983 तक करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति कार्यदल के अध्यक्ष/सदस्यों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुरेश माथुर, संयुक्त सचिव

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1983

आदेश

सं० 8/8/82-सीपीयू—भारत सरकार ने देश में उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन को बेहतर दिशा देने तथा उसे सोद्देश्य बनाने के लक्ष्य से एक उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठित करने का निर्णय किया है। परिषद् का गठन निम्न प्रकार होगा :—

1. मंत्री (खाद्य और नागरिक पूर्ति)	अध्यक्ष
2. उप मंत्री (इलेक्ट्रानिकी तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति)	उपाध्यक्ष
3. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
4. श्रीमती कैलाशपति, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
5. श्रीमती रोडा मिस्त्री, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
6. डा० (श्रीमती) सतियावाणी मुथु, सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
7. सचिव, भारत सरकार, नागरिक पूर्ति विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
8. सचिव, भारत सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
9. सचिव, भारत सरकार, खाद्य विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
10. सचिव, भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
11. सचिव, भारत सरकार, औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली	सदस्य
12. सचिव, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य
13. अध्यक्ष, भारतीय खाद्य निगम, नई दिल्ली	सदस्य
14. मंत्री/सचिव (उपभोक्ता संरक्षण के प्रभारी), हरियाणा सरकार	सदस्य
15. मंत्री/सचिव (उपभोक्ता संरक्षण के प्रभारी), गुजरात सरकार	सदस्य
16. मंत्री/सचिव (उपभोक्ता संरक्षण के प्रभारी), बिहार सरकार	सदस्य
17. मंत्री/सचिव (उपभोक्ता संरक्षण के प्रभारी), आंध्र प्रदेश सरकार	सदस्य
18. मंत्री/सचिव (उपभोक्ता संरक्षण के प्रभारी), असम सरकार	सदस्य
19. सचिव (उपभोक्ता संरक्षण के प्रभारी), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन	सदस्य
20. सचिव (उपभोक्ता संरक्षण के प्रभारी), अरुणाचल प्रदेश सरकार	सदस्य
21. कन्ज्यूमर्स एक्शन फोरम, कलकत्ता का प्रतिनिधि	सदस्य
22. इंस्टीच्यूट आफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टडीज मद्रास का प्रतिनिधि	सदस्य
23. नेशनल कंज्यूमर्स फ्रंट, नई दिल्ली का प्रतिनिधि	सदस्य
24. नेशनल इंस्टीच्यूट आफ कंज्यूमर्स स्टडीज हैदराबाद का प्रतिनिधि	सदस्य
25. उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
26. महानिदेशक, भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली	सदस्य
27. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता संघ मर्यादित, नई दिल्ली	सदस्य
28. संयुक्त सचिव (उपभोक्ता संरक्षण के प्रभारी), नागरिक पूर्ति विभाग नई दिल्ली	सदस्य सचिव

II. कार्यकाल

परिषद् का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन तीन वर्ष होगा :—

(क) जो संसद सदस्य परिषद् के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस परिषद् के सदस्य भी नहीं रहेंगे;

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि (क्रम सं० 14 से 24 तक) बारी-बारी से एक वर्ष की अवधि के लिए इस परिषद् के सदस्य होंगे;

(ग) परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे परिषद् के सदस्य मनोनीत किए गये हैं, और

(घ) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि के कारण परिषद् में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया अन्य सदस्य कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

III. सामान्य

परिषद की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी और वह उपभोक्ता के हितों से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह और उन उपायों का सुझाव देगी जो उपभोक्ता संरक्षण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कानूनों से प्रशासनिक तौर पर संबंध रखने वाले विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किए जाने हैं।

श्रीविलास मणि त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th August 1983

No. 68-Pres/83.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the officer

Shri Gurbax Lal Mehta,
No. D./822,
Sub-Inspector of Police,
Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the 23rd November, 1981, at about 3.15 AM, four persons armed with a country made pistol and iron rods, forcibly entered House No. S-335 Panch Sheel Park. The building was being used as a Company Guest House. Shri Alok Kumar Datta and his family, who had come from Alwar to attend a wedding party, were staying in 'ETCHER' Guest House. The robbers ransacked the bed rooms and deprived the Dattas of a few items of gold and jewellery. A neighbour heard the noise and informed P. P. Malviya Nagar. Sub-Inspector Gurbax Lal, alongwith Constable Balwan Singh, rushed to the spot without losing a moment with a view to apprehend the culprits. He arrived at the place when the culprits were ready to leave. They were challenged by S.I. Gurbax Lal and Constable Balwan Singh, resulting in confrontation. The culprits took out the fire arm and warned S.I. Gurbax Lal of dire consequences. Unmindful of personal safety, these two police officials tried to apprehend them. They fired two shots at S.I. Gurbax Lal and injured him badly. In spite of serious injuries S.I. Gurbax Lal and the Constable continued their struggle and grappled with the culprits injuring one of them. The Sub-Inspector caught hold of one of the culprits and threw him on the ground but the other culprit attacked him with iron rod causing fractures at his head, leg and hand. However, S.I. Gurbax Lal before falling down on the ground had injured one of the assailants. The Sub-Inspector was admitted in the Safdarjang Hospital with serious injuries.

Shri Gurbax Lal Mehta, Sub-Inspector, thus exhibited exemplary courage, conspicuous gallantry and devotion to duty of a very high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 23rd November, 1981.

S. NILAKANTAN, Dy. Secy.
to the President

PLANNING COMMISSION

(LABOUR, EMPLOYMENT & MANPOWER DIVISION)

New Delhi, the 6th August 1983

SUBJECT :—*National Level Guidance Committee for Self-Employment—Member-Secretary of the.*

No. M-12038/1/83-LEM-FP.—In continuation of para 2 of Planning Commission's Resolution No M-12038/1/81-LEM-EP dated the 8th April 1981 and Notification of even number dated the 22nd April, 1981, 12th June, 1981, 31st August 1981, 24th December, 1981 and 7th June, 1982, the following amendment is made in the composition of the Committee, namely :—

The entry against Serial No. '23' relating to Shri A. V. R. Char, Member-Secretary of the Committee be substituted by the following :

Dr. (Mrs) R. Thamarajakshi, Adviser (LEM), Planning Commission.

K. C. AGARWAL, Dir. (Admn.).

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF REVENUE)

New Delhi, the 20th August 1983

RESOLUTION

No. E.11017/45/79-O.L.—At the meeting of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Finance, held on 30th January, 1981, under the Chairmanship of the Minister of State (Revenue & Expenditure), it was decided that a scheme for granting awards for writing original books on financial subjects in Hindi should be prepared and the scheme should be called FINANCIAL LITERATURE AWARDS SCHEME/VITTIYA SAHITYA PURASKAR YOJANA.

2. *Object of the Scheme*

The object of the scheme is to encourage preparation and writing of standard original Hindi books on financial subjects.

3. *Eligibility*

The awards (Puraskars) will be given to Indian citizens only. Public servants, including Govt. employees, working in or under the Ministry of Finance and the organisations under its control and also the employees of the Indian Audit Department will be eligible to compete for the above awards.

4. *Subjects*

Every year awards will be given for writing original Books in Hindi on the following subjects :—

(a) Direct Taxes
(b) Indirect Taxes
(c) Banking
(d) Life Insurance
(e) General Insurance
(f) Currency & Coinage
(g) Public Finance
(h) Exchange Control
(i) Sales Tax
(j) Narcotics
(k) Gold Control
(l) Foreign Aid

Note :—Books on financial matters other than specifically mentioned above will also be considered.

5. *Awards (Puraskars)*

The awards to be given under the Scheme are as follows :

Prathama Puraskar—Rs. 5,000/- (Rs. Five thousand only).

Dvitiya Puraskar—Rs. 3,000/- (Rs. Three thousand only).

Tritiya Puraskar—Rs. 2,000/- (Rs. Two thousand only).

6. *Award Year*

(i) A financial year will be treated as the year of award.

(ii) The books submitted for consideration for grant of an award in a particular Year of the award should have been written/published in the previous financial year.

(iii) Under this scheme, books will be accepted upto 30th June of the year of the award.

7. *Donor of the Puraskars*

These puraskars will be given on behalf of the Ministry of Finance, Government of India.

8. *Evaluation of Books*

(i) The books received for consideration for the awards under the scheme will be first sent to Evaluation Committee of experts for evaluation, constituted every year by the Ministry of Finance. The names of the Members of the Committee and the proceedings of the Evaluation Committee will be kept secret.

(ii) The Evaluation Committee will assess the books received on the basis of their merit and recommend in that order the names of the authors and their books to the Secretary of the Awards Committee, by specified date, and also return to him all the copies of books/manuscripts which were sent to them.

(iii) The Evaluation Committee will, if satisfied, in the case of books which are not recommended for any award, that sustained efforts have been made in writing the book(s) in Hindi, recommend payment to the extent of Rs. 200/- per book as compensation for the expenditure incurred by the writer on Typing publishing such book(s).

(iv) The report submitted by the Evaluation Committee will be placed before the Awards Committee comprising the following :

1. Minister of State/Dy. Minister in the Ministry of Finance.	Chairman
2. Hindi Adviser to the Govt. of India	Member.
3. Additional Secretary (Administration), Department of Revenue	Member.
4. Joint Secretary (OL-I), Department of Economic Affairs	Member.
5. Joint Secretary (OL-I), Department of Expenditure	Member.

(v) The Deputy Secretary/Director (Administration), Department of Revenue will be the Secretary of the Awards Committee.

(vi) The Awards Committee will consider the suitability of the books for the purpose of granting the awards on the basis of the reports submitted by the Evaluation Committee.

9. *Definition of Originality for the purpose of the Scheme*

An original book in Hindi means, a book,

(a) which has been written by a competitor/author himself originally in Hindi;

(b) which is not a book or an article written by some author in some other language and translated by the competion;

(c) which is not a work written originally in some other language by the competitor himself and has been translated into Hindi by him or by a professional Translator;

(d) which is not written originally in Hindi or in some other language by the competitor in his official capacity and as part of his official work;

(e) which is not a Hindi translation rendered by the competitor himself or a professional translator of a book or an article which was written by the competitor in English or some other language in the official capacity and as part of his official work;

(f) which is not a detailed or abridged or summarised Hindi version prepared by the competitor himself or someone else of book or article already written and/or published by the competitor in English or some other language in his capacity and as a part of his official work; and

(g) which is not a book written under some Government contract or according to some Government scheme.

10. *Entries*

(i) Published books or typed copies—both will be accepted for consideration for the award. Competitor-writers will have to declare in the prescribed proforma that the book sent under the scheme is an original work as per definitions above.

(ii) If copy-right is involved the author shall have to submit in original the permission of the copy-right-holder alongwith one attested true copy. The original will be returned to the author after verification while the copy retained by the Department for record.

(iii) Competitors will be required to send six printed or typed copies of the books alongwith an application in the prescribed form. The entries and the application form duly filled up will be sent to the Deputy Secretary/Director (Administration) acting as Secretary, Financial Literature Awards Committee, Ministry of Finance, Department of Revenue, North Block, New Delhi.

(iv) The competitors will also be required to submit six copies of the summary of the subject of the each entry.

(v) The books submitted after the prescribed date will not be accepted for award during that year.

(vi) Books once considered for the purpose of award will not be considered again for the grant of award again.

(vii) If the Evaluation Committee does not find any book worth granting award during the year no award will be given during that year.

(viii) No competitor under the scheme will be eligible to be a Member of the Evaluation Committee for the year for which he submits his book(s) for grant of an award.

(ix) The decision of the Awards Committee will be final.

(x) If any book has already been awarded elsewhere the same will not be eligible for an award under this scheme. The Authors will have to furnish a certificate in this regard to the Department of Revenue while submitting the entries.

11. *Announcement of Grant of the Awards*

(i) The names of the writers winning the awards will be announced through leading newspapers and magazines.

(ii) All individuals competing for awards will be intimated separately about the results.

(iii) If the book winning the award is written by more than one writer, the amount of the award will be shared equally by all of them.

2. *Management of the Scheme*

(i) Arrangements for running the Scheme will be made by the Department of Revenue of the Ministry of Finance.

(ii) All correspondence about the scheme and the awards will be handled by the Dy. Secretary/Director (Administrative) Department of Revenue acting as the Secretary, Financial Literature Awards Scheme,

Ministry of Finance, North Block, New Delhi.

13. *Honorarium for Evaluators and the Officials Running the Scheme.*

(i) Each Evaluater will be granted an honorarium of Rs. 100/- per book, subject to a maximum of Rupees one thousand only.

(ii) The officials of the Department looking after the work of the Scheme will also be granted suitable honorarium which will be decided by the Government.

(iii) If the Members of the Evaluation Committee are invited from outside Delhi for evaluation the entries received for awards, they will be granted TA/DA for the duration of the meeting as per government rules.

14. *Funds for the Scheme*

The expenditure incurred on the Scheme as enumerated above, will be met out of the budget grant of the Department of Revenue.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Union Territories, Prime Minister Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and all the Ministries & Departments of Government of India.

ORDERED further that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. B. SARKAR, Addl. Secy.

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 19th August 1983

CORRIGENDUM

No. 2/24/82-NS.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. 2/24/82-NS published in Part I—Section I of the Gazette of India (Extraordinary) dated 1-3-1983 under the heading "Third Prizes" (Rs. 20,000/-) in column 3, against Sl. No. 5

FOR "1027057" READ "1027157"

S. GOPALAN, Under Secy.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(DEPARTMENT OF STEEL)

New Delhi, the 3rd August 1983

RESOLUTION

No. E.11015/2/83-Hindi(.).—It has been decided to include the following representatives of the Committee of Parliament on Official Language as members of the Ministry of Steel and Mines Hindi Salahkar Samiti constituted vide this Department's Resolution No. E.11015/2/80-Hindi dated the 9th April, 1981 :—

(1) Acharya Bhagwan Dev,
Member, Lok Sabha

(2) Shri Giridhar Gomango,
Member, Lok Sabha.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations. Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. G. RAMRAKHIANI, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

New Delhi-110 016, the 29th July 1983

RESOLUTION

No. F.20019/2/82-Adm-I.—In partial modification of its Resolution No F-20019/2/82-Adm-I, dated the 18th January, 1982 as amended by its resolution dated the 17th May, 1982, the Government of India have decided to abolish the Executive Committee of the National Bio-technology Board and substituted two Committees in its' place namely, *Executive Committee* and *Expert Committee*.

2. The composition and functions of the above two Committees are as under ;—

EXECUTIVE COMMITTEE

Composition

Chairman

1. Secretary, Department of Science and Technology.

Members

2. Director General, Council of Scientific & Industrial Research.
3. Director General, Indian Council of Medical Research.
4. Director General, Indian Council of Agricultural and Research.
5. Secretary, Department of Atomic Energy (Research & Development).
6. Secretary (Expenditure).

Member-Secretary

7. Adviser (Bio-technology).

Functions

1. To advise on matters relating to day-to-day aspects of operation and implementation of the activities of the Board.
2. To prepare a long-term programme for implementation for an initial period of 5 years.
3. To advise the National Bio-Technology Board in the formulation and review of guidelines for receiving and processing research proposals for support under National Bio-technology Board and to advise on drawing up uniform guidelines to be followed by all the agencies.
4. To recommend effective mechanism of coordination, evaluation and monitoring of all the programmes.
5. To assess and advise on priorities in Bio-technological research based on economic considerations.
6. To provide guidance for preparing status report on Bio-technology and to oversee the updating of status report in different fields of Bio-technology in the country as well as in the world.
7. To provide guidance for capability building and selection of scientists to be invited from different countries for this purpose.
8. To identify, approve projects to be funded by the International agencies.

9. To determine new areas necessitating bio-technological research and development.

10. To recommend on the types of training programmes which are most suitable to fill up gaps in the available expertise.

11. To identify subject areas, institutions and persons which will form the nucleus for further development in respective training programmes.

12. To determine the medium and long-term financial requirements for ongoing programmes as well as for new areas of work.

13. Any other functions entrusted to it by the Board from time to time.

An expert committee has been appointed to assist the Executive Committee in some of its functionings.

EXPERT COMMITTEE

Composition

Chairman

1. Dr. S. Varadarajan, Secretary, Department of Science and Technology and Vice-Chairman National Bio-Technology Board.

Members

2. Dr. T. K. Ghose, BERC, IIT, New Delhi.

3. Dr. (Mrs.) Shipra Guha Mukherjee, School of Life Sciences, JNU, New Delhi.

4. Dr. H. K. Jain, Director, IARI, New Delhi.

5. Dr. P. V. Sane, BARC, Bombay.

6. Dr. (Miss) K. Pavri, Director, Virus Research Institute, Pune.

7. Dr. T. V. Subbaiah, Alembic Chemical Works Limited, Vadodara.

8. Dr. B. K. Bachhawat, Director, IICB, Calcutta.

Member-Secretary

9. Dr. S. Ramachandran, Adviser, MBTB, New Delhi.

Functions

1. To advise and provide guidance in the preparation of short and long term programme in the different fields of Bio-technology for support by Government and various national agencies.

2. To advise on formation of specialised Expert Groups/Task Forces in various fields for scrutinising and assessing programmes and projects received by NBTB.

3. To recommend programmes and research projects for funding as well as specify financial support required and project duration for the selected projects to the Executive Committee of NBTB.

4. To serve as a reviewing/monitoring committee for various programmes/projects being supported by NBTB and to recommend changes, mid-term corrections that may be required for these programmes.

5. Review and coordinate the major programmes/projects in Bio-technology that are being supported by the National R&D Agencies, keeping in view the short & long-term R&D plans of the NBTB.

6. Identify, recommend and formulate, if necessary, programmes in major new areas of basic and applied research programmes that may become relevant to our national needs from time to time.

7. Advise and coordinate the manpower development and training programmes in the multidisciplinary areas of biotechnology including the initiation of degree and diploma courses in Universities or educational institutions.

8. Evolve specific recommendations for developing strong linkages between educational and R&D system on the one hand and the industry on the other.

9. Advise and recommend the setting up of commercial or semi-commercial prototypes and pilot plants with a view to upscaling and demonstrating the large scale viability of technologies and processes developed in the various areas of biotechnology within the country.

10. Advise and recommend the setting up of technological review of committee for assessing the technological status of the Indian Biotechnology Industry with a view not only to update Indian technology but strengthen/start R&D programmes for meeting the future technological requirements of the country.

11. Advise and assist in the identification of Indian Scientists working abroad and willing to return to India and their suitable placement in the different R&D Centres in the country.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, administration of Union Territories, Ministries/Departments of the Government of India, Planning Commission, Railway Board, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat all members of the Council of Ministers and all the Members of the Executive Committee and expert Committee of the National Bio-technology Board.

VINAY SHANKAR, Jt. Secy.

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi, the 28th July 1983

No. 14/52/82-M.—The Government of India have decided to extend the terms of the Expert Group, constituted by a Resolution No. 14/52/82-M, dated 20th January, 1983 for a further period of 4 months i.e. upto 30th November, 1983 to submit its report.

KAPILA VATSYAYAN, Addl. Secy.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(PORTS WING)

New Delhi, the 19th August 1983

RESOLUTION

No. PW/PTH-2/81.—In partial modification of the Ministry of Shipping and Transport Resolution No. PW/PTH-2/81, dated the 10th July, 1981 regarding reconstitution of the National Harbour Board, Shri Mirza Irshadbeg, Member, Rajya Sabha, New Delhi will now be the Member of the National Harbour Board, in place of Prof. N. M. Kamble, who ceased to be a Member of Rajya Sabha, New Delhi, for the remaining period of the term.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the members of the Board, Secretary to the President, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, Ministries/Departments of the Government of India and the State Governments concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. V. VENKATAKRISHNAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF ENERGY

(DEPTT. OF PETROLEUM)

New Delhi, the 12th August 1983

ORDER

SUBJECT :—Grant of Petroleum Exploration Licence for Bassein (South) Structure Western Offshore measuring 1289.63 sq. kms. to ONGC.

No. 0-12012/2/83-Prod.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-rule (1) of rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil & Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (hereinafter referred to as Commision) a Petroleum Exploration Licence to prospect for Petroleum for 4 years from 9-12-1982 measuring 1289.63 sq. kms. the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The Grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below.

(a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.

(b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.

(c) Royalty at the rates mentioned below shall be charged.

(i) Rs. per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing head condensate.

(ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time.

The royalty shall be paid to the Pay & Accounts Officer, Department of Petroleum, New Delhi.

(d) The Commission shall, within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing head condensate and natural gas obtained during the preceeding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.

(e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 6000/- as security as required by rule 11 of the PNG Rules, 1959.

(f) The Commission shall pay every year a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometer or party thereof covered by the licence.

(i) Rs. 4/- for the first year of the licence;

(ii) Rs. 20/- for the second year of the licence;

(iii) Rs. 100/- for the third year of the licence;

(iv) Rs. 200/- for the fourth year of the licence

(v) Rs. 300/- for the first and second year of renewal.

(g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.

(h) The Commission shall immediately on demand submit to the Central Government confidentially a full report of the geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.

(i) The Commission shall take preventive measures against the hazard of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.

(j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948 (53 of 1948) and the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959.

(k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to offshore areas as approved by the Central Government.

SCHEDULE 'A'

The area covered by this 'Petrioleum Exploration Licence falls in Bassein (South) (off shore area and lines between latitudes 190° 00′ 00″ South to 19° 30′ 00″ North and longtidues 72° 00′ 00″ West to 72° 15′ 00″ East and is delineated on the map by the line joining the corner Points A, B, C, D, E, F and measuring 289·63 sq. kms.

The latitudes and longitudes on which the points covering the area fall are as follows :—

Bearing

	Latitude			Longitude		
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.
1	2	3	4	5	6	7
Pont 'A'	19°	30′	pp″ N	72°	04′	10·96″ E
Point 'B'	19°	15′	00″ N	72°	04′	10·96″ E
Point 'C'	19°	15′	00″ N	72°	00′	00″ E
Point 'D'	19°	00′	00″ N	72°	00′	00″ E
Poit 'E'	19°	00′	00″ N	72°	15′	00″ E
Point "F"	19°	30′	00″ N	72°	15′	00″ E

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for
Area
Month and Year

A. Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration operation approved by the Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	
1.				

B—Casing head condensate

Total number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or retrned to natural reservoir.	No.of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government.	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 & 3	Remarks
1	2	3	4	5
1.				

C—Natural Gas

Total number of cubic-metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir.	Number of Cubic metres used for purposes of petroleum exploration approved by the Central Government.	Number of cubic metres obtained less columns 2 & 3.	Remarks.
1	2	3	4	5

I, Shri———————————————do hereby solemnly and sincerely declare and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

(Signature)

By order and in the name of the President of India.

RAJENDRA SINGH, Director.

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 8th August 1983

RESOLUTION

No. 601/35/83-TV.—In continuation of the Resolution of even No. dated 6th December, 1982 and 14th March, 1983 appointing a Working Group to prepare Software plan for Doordarshan, it has been decided to extend the time limit of submission of its report by the Working Group till 30th September, 1983.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman/Members of the Working Group, Prime Minister's Office, All Ministries and Departments of the Government of India and all State Governments and Union Territories.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SURESH MATHUR, Jt. Secy.

MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES
(DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES)

New Delhi, the 22nd August 1983

ORDER

No. 8/8/82-CPU.—The Government of India have decided to constitute a Consumer Protection Council with the object of giving a higher direction and purpose to the consumer protection movement in the country. The Council shall consist of the following :—

Chairman

1. Minister (Food & Civil Supplies).

Vice-Chairman

2. Deputy Mnister (Electronics And Food & Civil Supplies).

Members

3. Smt. Usha Prakash Choudhary, Member, Lok Sabha.
4. Smt. Kailash Pati, Member, Lok Sabha.
5. Smt. Roda Mistry, Member, Rajya Sabha.
6. Dr. (Smt.) Sathiavani Muthu, Member, Rajya Sabha.
7. Secretary to the Government of India, Department of Civil Supplies, New Delhi.
8. Secretary to the Government of India, Ministry of Chemicals & Fertilizers, New Delhi.
9. Secretary to the Government of India, Department of Food, New Delhi.
10. Secretary to the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi.
11. Secretary to the Government of India, Department of Industrial Development, New Delhi.
12. Secretary to the Government of India, Ministry of Rural Development, New Delhi.
13. Chairman, Food Corporation of India, New Delhi.
14. Minister/Secretary (Incharge of Consumer Protection) Government of Haryana.
15. Minister/Secretary (Incharge of Consumer Protection), Government of Gujarat.
16. Minister/Secretary (Incharge of Consumer Protection), Government of Bihar.
17. Minister/Secretary (Incharge of Consumer Protection), Government of Andhra Pradesh.
18. Minister/Secretary (Incharge of Consumer Protection), Government of Assam.

19. Secretary (Incharge of Consumer Protection), Administration of Andaman & Nicobar Islands.

20. Secretary (Incharge of Consumer Protection), Government of Arunachal Pradesh.

21. A representative of the Consumers' Action Forum, Calcutta.

22. A representative of the Institute of Consumer Protection Studies, Madras.

23. A representative of the National Consumers' Front, New Delhi.

24. A representative of the National Institute of Consumer Studies, Hyderabad.

25. Dy. Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes, Government of India, New Delhi.

26. Director General, Indian Standards Institution, New Delhi.

27. National Cooperative Consumers Federation of India Limited, New Delhi.

Member-Secretary

28. Joint Secretary (Incharge of Consumer Protection), Department of Civil Supplies, New Delhi.

II. TENURE :

The terms of the Council will be for three years from the date of this composition provided that,:

(a) a member who is a Member of Parliament ceases to be a Member of the Council as soon as he ceases to be a Member of Parliament;

(b) representatives of the States/Union Territories and consumer organisations (Sl. Nos. 14 to 24) will be Members of this Council for a period of one year in rotation;

(c) ex-officio Members of the Council shall continue as Members as long as they hold office by virtue of which they have been nominated as Members of the Council; and

(d) if a vacancy arises on the Council due to resignation, death, etc. of a Member, another appointed in that capacity shall hold office for the residual term.

III. GENERAL :

The Council shall meet at least twice in a year and advise the Government on all matters having a bearing on the interest of the consumer and will suggest measures to be taken by the different Ministries/Departments administratively concerned with laws dealing with various aspects of consumer protection.

S. V. M. TRIPATHI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983.